न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली बहरोड)
पीठासीन अधिकारी डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
148/2025	2025/384	09.09.2025	21.01.2026

उनवान

1– संतोष पत्नि स्व० अमरनाथ
2– प्रियंका पुत्री स्व० अमरनाथ
3– मुकेश
4– जितेन्द्र
5– संजय पुत्रान स्व० अमरनाथ
समस्त जातियान ब्राहम्ण, निवासी शिवनगर, पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **वादीगण**

बनाम

1– जगदीश
2– रामकरण
3– सुवालाल
4– हरी पुत्रान स्व० नाथू
5– हरकौरी पत्नि स्व० नायू
6– अशोक
7–दौलत पुत्रान रामेश्वर
8– कमली पत्नि रामेश्वर
समस्त जातियान जाट निवासी शिवनगर, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
9–नीरज यादव पुत्र हरिराम यादव, जाति अहीर निवासी वार्ड नम्बर 14, मौहल्ला बाछडी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान
10– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
11 श्रीमान सब रजिस्ट्रार पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान **प्रतिवादीगण**
12 मीरा देवी पुत्री स्व० अमरनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी शिवनगर, पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड **तरतीबी प्रतिवादी**

दावा बाबत रिकार्ड दुरुस्ती, घोषणात्मक एंव स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय **दिनांक: 21.01.2026**

1. वादीगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र चौधरी के द्वारा पेश दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि साबिक खसरा नम्बर 2082/1, 2081/1, 2081/2, 2004/4 वाके ग्राम पावटा हाल शिवनगर जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 1874/1.35, 1899/0.52 वाके मौजा शिवनगर बने है व साबिक खसरा नम्बर 2081 2082 2083, 2094, 2095 वाके मौजा पावटा हाल शिवनगर जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 1868/0.56. 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड, राजस्थान बने है। उक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के बुजुर्ग कैलाश, अमरनाथ पुत्रान त्रिलोकीनाथ थे। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के बुजुर्ग कैलाशचन्द लाऔलाद फौत हो गये जिनके एकमात्र विधिक वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के बुजुर्ग कैलाश, अमरनाथ पुत्रान त्रिलोकनाथ ने साबिक आराजी खसरा नम्बर 2082/1, 2081/1, 2081/2, 2094/4 वाके मौजा पावटा हाल शिवनगर की सम्पूर्ण भूमि रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 22–11–1976 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के बुजुर्ग रामेश्वर प्रसाद पुत्र मेदा जाट, नाथूराम पुत्र लादूराम को कर दिया था जिसका नामान्तकरण जरिये मिसल संख्या 1317/77 निर्णय दिनांक 2–10–1977 को आराजी हाल खसरा नम्बर 1874/1.35, 1899/0.52 वाके मौजा शिवनगर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया था। तथा उसी समय विकित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 1874 व 1899 पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के पूर्वज रामेश्वर प्रसाद व नाथूराम काबिज काश्त हो गये थे।

3. प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 08 के बुजुर्ग रामेश्वर व नाथूराम की खरीदशुदा भूमि का रकबा 08 बीघा 04 बिश्वा का नामान्तकरण आराजी हाल खसरा नम्बर 1874, 1899 के रिकार्ड में दर्ज होने के बावजूद भी विक्रय पत्र दिनांक 22–11–1976 से ही पुनः मिसल सख्या 898/78 निर्णय दिनाक 23–5–1979 श्रीमान एएसओ साहब द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 1868/0.56 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर के हिस्सा 1/2 यानि रकबा 2.08 हैक्टेयर में गलत रूप से बिना अधिकार के प्रतिवादी संख्या लगायत 01 लगायत 08 के बुजुर्ग रामेश्वर व नाथूराम का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जबकि आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मोजा शिवनगर तहसील पावटा से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 व उनके बुजुर्गान का किसी भी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा है, ना ही आज है आज भी मौके पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी आराजी पर काबिज काश्त है।

4. मुताबिक विक्रय पत्र दिनाक 22–11–1976 से जब आराजी खसरा नम्बर 1874 व 1899 में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के बुजुर्ग रामेश्वर व नाथूराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया था तथा विक्रित आराजी हाल खसरा नम्बर 1874, 1899 पर काबिज काश्त हो गये थे तो उसी विक्रय पत्र दिनाक 22–11–1976 से ही पुनः दिनांक 23–5–1979 को आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर जिससे प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 08 व उनके बुजुर्गान का कभी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा के राजस्व रिकार्ड में विधि विरुद्ध एवं गलत रूप से बिना किसी अधिकार के नाम दर्ज कर दिया जो कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के अधिकारों के विरुद्ध शुरू से ही शून्य एवं बेअसर है तथा दुरूस्त किये जाने योग्य है।

5. प्रतिवादी सख्या 06 लगायत 08 ने उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर के राजस्व रिकार्ड गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुये बदनियतीपूर्वक प्रतिवादी संख्या 09 को आराजी के हिस्सा 1/4 का बेचान कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 09 को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होते हुये भी प्रतिवादी संख्या 09 ने अपने हक में बदनियतीपूर्वक विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया जो कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के अधिकारों के विरूद्ध शुरू से ही शून्य व बेअसर है। अब उक्त गलत इन्द्राज की बिना पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 आये दिन ताकत के बल पर वाचीगण व तरतीबी प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में मजाहमत करते है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 को ऐसा करने का काई हक व अधिकार हासिल नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6. वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर के राजस्व रिकार्ड से अपना नाम हटवाकर का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवा देवे तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी से बेदखल ना करे आराजी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में मजाहमत ना करे। मगर प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 09 नहीं मान रहे है तथा उन्होने राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने से साफ मना कर दिया और गत सप्ताह से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी से बेदखल करने, आराजी दीगर लोगो को बेचान करने पर आमादा है। समझाने से नहीं मान रहे है, गत सप्ताह से साफ इन्कारी है। इसलिये माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है।

7. प्रतिवादीगण को पाबन्द नहीं किया गया और प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी से बेदखल करने, कब्जा काश्त में मजाहमत करने में कामयाब हो गये तो वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जर्रे नकद से कम्पनसैट नहीं किया जा सकेगा। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फसना पड़ेगा, जिससे वाद बहुलता को बढ़ावा मिलेगा। बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अत वाद अन्दर मियाद पेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत नियत न्यायशुल्क पर वाद पेश है। वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार है। तरतीबी प्रतिवादी के उक्त बाद में वादीगण के समान हित निहित है लेकिन दावा दायरी के वक्त मौजूद नहीं होने के कारण तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है।

8 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी दावेदार है कि एक किता डिक्री रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरनाई जाये कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 व 09 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा इसी कदर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द किया जावे कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1860/3.60 वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 ताकत के बल पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी से बेदखल ना करें। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के आराजी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें एवं वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी का शांतिपूर्वक कब्जा–काश्त उपयोग उपभोग करने देवे। आराजी को न दीगर लोगों को रहन बैय बेचान या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल या ट्रांसफर ना करें। आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें, खुर्द–बुर्द ना करें, आराजी में खड्डे वगैरह ना खोदे आराजी की किस्म में परिवर्तन ना करें वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी से बेदखल ना करें, ना ही ऐसी कोई धमकी देवें। प्रतिवादी सख्या 10 को पाबन्द किया जावे कि ये हाल राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली ना करें। प्रतिवादी सख्या 11 को पाबन्द किया जाये कि यदि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 उक्त आराजी से सम्बन्धी कोई विक्रय–पत्र या अन्य अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज पेश करें तो उसे तस्दीक ना करें। ना ऐसा प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना अपने किसी नौकर चाकर, मुख्तयार, एजेन्ट, ठेकेदार आदि से करावें। संदा–सदा के लिए ममनू व बाज रहें। या जो दादरसी न्यायहित में हो सादिर फरमाई जाये।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

9 वादपत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे इस कारण प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तरतीबी प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार अग्रवाल उपस्थित आकर वकलातनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तरतीबी प्रतिवादी वकील ने वाद के समर्थन में अपनी सहमति जाहिर की। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के बाद पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई। वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य में साक्षीगण संतोष पत्नि स्व. अमरनाथ, देवेन्द्र शर्मा पुत्र महावीर शर्मा एव कैलाश शर्मा पुत्र दुर्गाप्रसाद के बयान शपथ पत्र पेश कर बयान करवाये गये तथा दस्तावेजात प्रदर्श–01 लगायत 09 पेश किये जो शामिल पत्रावली किया गया। दस्तावेजात प्रदर्श होने के बाद वादी वकील व तरतीबी प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गयी। वादी वकील ने वादपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए हाल आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 05 व 09 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत का भली नाति अवलोकन व अध्ययन कर मनन किया। वादपत्र में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 869/3.60 है० भूमि वाके मौजा शिवनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी स 01 लगायत 05 व 09 के नाम दर्ज हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रतिवादी सं. 01 लगायत 08 के पूर्वज रामेश्वर प्रसाद पुत्र मेदा जाट व नाथूराम पुत्र लादूराम द्वारा क्रय की भूमि 2082/1, 2081/1, 2081/2, 2094/4 जिसके हाल खसरा नम्बर 1874 व 1899 बने है का नामान्तकरण जरिये मिसल संख्या 1317/77 से हो चुका था तो उसकी विक्रय पत्र दिनांक 22.11.1976 से पुनः वादीगण के पूर्वज अमरनाथ व कैलाश के स्थान पर जरिये नामान्तकरण जरिये मिसल संख्या 898/78 दिनांक 23.05.1979 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1869 में बिना किसी अधिकार के गैर कानूनी तरीके से दर्ज करना बखूबी साबित है जो कि विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जिसका एएसओ कोटपूतली को कोई अधिकार नही था।

अतः दावा वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी के हक में निर्णय डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 05 व 09 का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर तहसील पावटा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द जाता है कि वे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार लिखा जाये। पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनाक 21.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया

(डॉ. साधना शर्मा, **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
148/2025	2025/384	09.09.2025	21.01.2026

उनवान

1– संतोष पत्नि स्व० अमरनाथ
2– प्रियंका पुत्री स्व० अमरनाथ
3– मुकेश
4– जितेन्द्र
5– संजय पुत्रान स्व० अमरनाथ
समस्त जातियान ब्राहम्ण, निवासी शिवनगर, पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1– जगदीश
2– रामकरण
3– सुवालाल
4– हरी पुत्रान स्व० नाथू
5– हरकौरी पत्नि स्व० नायू
6– अशोक
7–दौलत पुत्रान रामेश्वर
8– कमली पत्नि रामेश्वर
समस्त जातियान जाट निवासी शिवनगर, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
9–नीरज यादव पुत्र हरिराम यादव, जाति अहीर निवासी वार्ड नम्बर 14, मौहल्ला बाछडी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान
10– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
11 श्रीमान सब रजिस्ट्रार पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान

प्रतिवादीगण

12 मीरा देवी पुत्री स्व० अमरनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी शिवनगर, पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड

तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरुस्ती, घोषणात्मक एंव स्थाई निषेधाज्ञा

अतः दावा वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी के हक में निर्णय डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 05 व 09 का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को आराजी खसरा नम्बर 1869/3.60 वाके मौजा शिवनगर तहसील पावटा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द जाता है कि वे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफतर हो।

डिक्री आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियो के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	